

9
02-11-21

Form No-111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम

सरकार

नम्बर 261 सन 2021

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

787

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी किए

तारीख हुकम

02-11-21

तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार
रायसिंहनगर के पत्राक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/545
दिनांक 2.11.21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सतजन्दा
में प्रार्थी के नाम चक 125 A/D की जमाबंदी सम्वत
2075-2078 के खाता सं. 55 में जी.सी.एम.एस.

55 जीवन हिस्सा 1/5 खाते कारी का 25 MP
खोलेगा

के स्थान पर जी.सी.एम.एस. जीवन हिस्सा
1/5 खाते कारी का 25 MP खातेगा

की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प
कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार
दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति
जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब
तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशंषा
के आधार पर वाके चक 125 A/D तहसील
रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत 2075-2078
के खाता सं. 55 में जी.सी.एम.एस.

हिस्सा 1/5 खाते कारी का 25 MP

के स्थान पर
जी.सी.एम.एस. जीवन हिस्सा 1/5 खाते
कारी का 25 MP खातेगा

की दुरुस्ती करने
के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी
अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय
का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।
पत्रावली फाँसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी

रायसिंहनगर

सहम - सतजन्दा

